श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249199
Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand–249199
Tel :(01376)-254065 Fax :(01376)-254065 Website: www.sdsuv.ac.in Email.ID:sdsuv123@gmail.com

Ref: 730 /SDSUV/RO/ 2017-18 Date: 30/06/2017

कार्यालय ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम– 2011 (यथासंशोधित) के अध्याय– 6 की धारा– 33(1) के अधीन निम्न संस्थान को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ–3 में वर्णित पाठयक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:–

क्रम संख्या	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	क्वान्टम स्कूल ऑफ ग्रेजुऐट स्टडीज, रूडकी जनपद हरिद्वार	बी0एससी0(वानिकी)	60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु	कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक संख्या:– 850/जी0एस0/शिक्षा/A11–63(4)/ 2016, दिनांक–12 जून, 2017
		बी0एससी0(उद्यानिकी)	60 सीट		

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटों सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
3. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय शासन एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
5. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा, यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है, तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
7. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पायी जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है, तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
8. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
9. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नही? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय, एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी, अन्यथा अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(दिनेश चन्द्र),
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषितः–

1. सचिव, कुलाधिपति, राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, राजभवन देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान को।
5. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव/वित्त अधिकारी/प्रभारी परीक्षा।
7. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्र),
कुलसचिव।
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल